# पर्यटन नीति में पंजीकृत होटल, रिजार्ट से तीन गुना हाउस टैक्स लिया जाएगा

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार ने यूपी में होटल और रिसार्ट्स कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा देते हुए इनके कारोबारियों को बढ़ी राहत दी है। पर्यटन नीति के तहत पंजीकृत ऐसे होटल व रिजार्ट से अब मासिक किराए दर का तीन गुना हाउस टैक्स लिया जाएगा। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा देने और होटल कारोबार को बढ़ावा देने की दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से इसे मंजूरी दी। अभी इनसे पांच से छह गुना तक हाउस टैक्स लिया जा रहा है। वहीं सरकार ने गोरखपुर में गोड़धइया नाले और रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार पर खर्च होने वाली राशि बढ़ा दी है।

## सोलर पम्प पर टॉपअप सब्सिडी देगी प्रदेश सरकार

लखनऊ। पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप पर प्रदेश सरकार टॉपअप सब्सिडी देगी। किसानों को पहले की तरह ही 60 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए जो अतिरिक्त खर्च आएगा, वह राज्य सरकार देगी। यह निर्णय गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अभी केंद्र सरकार की इस योजना में 60 प्रतिशत सहायता केंद्र सरकार देती है। बाकी 40 प्रतिशत किसान को कीमत चुकानी होती है। इस बार जो टेंडर हुए हैं उसमें कीमतें बढ़ने से लागत ज्यादा आ रही है। ऐसे में इस अतिरिक्त लागत की भरपाई राज्य सरकार ने करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 350 करोड़ के सोलर पम्प 74 हजार किसानों को दिए जाने हैं।

## निवेशकों को रियायतें मिलने का रास्ता साफ

लखनऊ। योगी सरकार ने विभिन्न कंपनियों को उनके द्वारा किए गए निवेश की एवज में लेटर आफ इंटेंट जारी करने का निर्णय लिया है। इसके जरिए उन्हें रियायतें मिलने का रास्ता साफ होगा। गुरुवार को औद्योगिक विकास विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूर किया गया। पहले इन कंपनियों को 2017 की निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत लाभ अनुमन्य थे। बाद में इन कंपनियों ने 2022 की नीति के तहत रियायतों के लिए आवदेन किया। शर्तें पूरी होने के कारण इन्हें मंजूर किया गया।